



मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची, दिनांक-01.02.2019

संख्या-98/2019

=====

◆ गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद में वर्तमान में रु 50 दी जाती है जिसे बढ़ा कर अब रु 100 की राशि दी जायेगी-- रघुवर दास, मुख्यमंत्री

=====

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि तस्करी से जब्त गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद में वर्तमान में रु 50 दी जाती है जिसे बढ़ा कर अब रु 100 की राशि दी जायेगी। साथ ही, यह राशि दो साल तक के लिए मिलेगी। अभी छह माह के लिए ही राशि मिलती है। राज्य में कार्यरत पशु चिकित्सकों को सप्ताह में दो दिन स्थानीय गौशाला में जाकर जांच करने संबंधी निर्देश जारी करने को भी कहा। जांच के बाद चिकित्सकों को गौशाला के प्रबंधक से हस्ताक्षर कराना होगा और इसकी कॉपी मुख्यालय में मंगायें। गौशाला में उत्पादित होनेवाली जैविक खाद भी सरकार खरीद लेगी। उक्त बातें उन्होंने झारखंड मंत्रालय में गो सेवा आयोग की समीक्षात्मक बैठक में कहीं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गौशाला की भूमि से जल्द से जल्द अतिक्रमण हटायें। साथ ही जो गौशाला निबंधन के लिए आ रही हैं, उन्हें एक दिन में ही निबंधित करें। सीमावर्ती क्षेत्रों में गो तस्करी पर कड़ाई रखें।

बैठक में बताया गया कि अभी राज्य में 21 गौशाला निबंधित हैं। पिछले वर्ष तस्करी से जब्त 3809 पशुओं के लिए 3.33 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। गो सेवा आयोग के सदस्यों ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि जहां पहले प्रतिदिन 20 रुपये मिलते थे, वहीं सरकार ने पहले 50 और आज 100 रुपये कर दिये। प्रशासनिक सहयोग में भी झारखंड सरकार की भूमिका सकारात्मक है।

बैठक में कृषि मंत्री श्री रणधीर सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री एसकेजी रहाटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार बर्णवाल, कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, गौशाला संघ के प्रदेश महामंत्री श्री अनिल मोदी, श्री रमाकांत गुप्ता, ताराचंद जैन, प्रमोद सारस्वत, कन्हैया लाल कन्नु, जगदीश अग्रवाल, ज्योति बजाज, ध्रुव साँथालिया, राम रतन महर्षि, इंद्र कुमार पसरी, सत्येंद्र पांडेय समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

####

=====

#Team PRD(CMO)